# न्यायालय श्री अजित कुमार मिश्र, जिला एवं अपर सत्र न्या0–द्वितीय सह विशेष न्या0 (एन.डी.पी.एस.), कैमूर, भभुआ।

## सरकार बनाम पप्पू सिंह

## एन.डी.पी.एस. केस नंबर– 02/2017

## आदेश

02.04.2026

प्रस्तुत वाद के अभियुक्त पप्पू सिंह की ओर से स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने हेतु एक आवेदन दिया गया है। जिसकी प्रति विशेष लोक अभियोजक को दे दी गयी है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन को संचालित करते हुए न्यायालय से निवेदन करते है कि अभियुक्त पप्पू सिंह प्रस्तुत वाद में स्वेच्छा से दोष स्वीकार करना चाहता है। आवेदक इस वाद में नामजद अभियुक्त है। आवेदक के पास से 43.3 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जो लघुमात्रा की श्रेणी में आता है तथा आवेदक का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है ओर न ही सजायाफ्ता है तथा वह अपना दोष स्वीकार बिना किसी जोर दबाव के स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अभियुक्त को कम से कम सजा देने की कृपा की जाए।

अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्त की प्रार्थना पर अपनी सहमति व्यक्त करते है।

उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अभियुक्त के विरूद्ध धारा–20, 22 एवं 25 (ए) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत बहस हेतु चल रहा है। अभियुक्त पप्पू सिंह के दोष स्वीकार करने पर समुचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया। चूँकि अभियुक्त के पास से जो गांजा बरामद किया गया है, वह लघु श्रेणी का है। अतः अभियुक्त को धारा–20 एन. डी.पी.एस. के तहत अपराध का दोषी पाया गया है, जहां तक धारा– 22 एवं 25 (ए) एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रश्न है, अभियुक्त पप्पू सिंह के विरूद्ध अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं रहने के कारण उन्हें इन धाराओं से दोषमुक्त करते हुए रिहा किया जाता है। अभिलेख में आरोप गठन के समय भूलवश धारा–25 (ए) एन.डी.पी.एस. एक्ट के स्थान पर 25 (एन) टंकित हो गया है। अभियुक्त पप्पू सिंह का धारा 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया। अभियुक्त पप्पू सिंह के पास से 43.3 ग्राम गाँजा बरामद हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त पप्पू सिंह को दोषसिद्ध किया जाता है तथा उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया तथा धारा–20 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत अधिकतम एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दंडनीय है। अतः अभियुक्त को धारा– 20 के अंतर्गत कारा में बिताई गई अवधि (16.01.2017 से 21.03.2017) अर्थात् 02 माह 05 दिन का सश्रम कारावास की सजा दी जाती है तथा साथ में मो0 2500/– दो हजार पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है एवं अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 15 दिनों के साधारण कारावास की

लगातार

02.04.2026 सजा से दी जाती है। अभियुक्त पूर्व में ही 02 माह 05 दिन कारा में बीता चुका है। अभियुक्त पप्पू सिंह के द्वारा कारा में बिताई गई अवधि को दी गयी सजा में समायोजित की जाती है। अभियुक्त के द्वारा अर्थदंड की राशि जमा करने पर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जा सकता है।

लेखापित
ह0/–
(अजित कुमार मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय
कैमूर, भभुआ।

पश्चात्
02.04.2026 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त पप्पू सिंह की ओर से मो0 2500/– रूपये नजारत में रसीद संख्या–00199651 दिनांक 02.04.2026 के द्वारा रसीद दाखिल किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया कर दिया गया। कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
ह0/–
(अजित कुमार मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय
कैमूर, भभुआ।